मुख्यालय
उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
"गौरा देवी पर्यावरण भवन"
46बी, आई.टी. पार्क, सहस्त्रधारा रोड़, देहरादून–248001

पत्रांक–यूकेपीसीबी/एच.ओ./ 4376-8777, दिनांक 05.11.2020

सेवा में,

प्रमुख सचिव,
पर्यावरण संरक्षण एवं जलवायु परिवर्तन,
उत्तराखण्ड शासन,
देहरादून।

विषयः– उत्तराखण्ड राज्य में "उत्तराखण्ड प्लास्टिक और अन्य जीव अनाशित कूड़ा–कचरा (उपयोग और निस्तारण का विनियमन) अधिनियम, 2013 के अन्तर्गत प्लास्टिक के उत्पादन, क्रय–विक्रय, विपणन, भण्डरण आदि को प्रतिबन्धित किये जाने के सम्बन्ध में।

संदर्भः– उत्तराखण्ड राज्य में Single Used Plastic (SUP) को प्रतिबन्धित किये जाने के सम्बन्ध में मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन की अध्यक्षता में दिनांक 30.09.2020 को सम्पन्न बैठक।

महोदय,

उपरोक्त विषयक मुख्य सचिव महोदय, उत्तराखण्ड शासन की अध्यक्षता में दिनांक 30.09.2020 को सम्पन्न बैठक में लिये गये निर्णयों (संलग्नक–1) के अनुसार उत्तराखण्ड राज्य में Single Used Plastic (SUP) के उत्पादन, क्रय–विक्रय, विपणन, भण्डरण आदि को प्रतिबन्धित किये जाने हेतु संशोधित अधिसूचना का आलेख (हिन्दी व अंग्रेजी में) आपके अवलोकनार्थ प्रेषित् किया जा रहा है। (संलग्नक–2)

कृपया अग्रेतर आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।

संलग्नकः यथोपरि।

भवदीय

5.XI.2020

(एस0पी0 सुबुद्धि)आई0एफ0एस0
सदस्य सचिव

उत्तराखण्ड राज्य में Single Use Plastic (SUP) को प्रतिबन्धित किये जाने के सम्बन्ध में मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन की अध्यक्षता में दिनांक 30.09.2020 को सम्पन्न बैठक का कार्यवृत्त।

बैठक में उपस्थितिः–

(1) श्री आनन्द बर्द्धन, प्रमुख सचिव, वन एवं पर्यावरण, उत्तराखण्ड शासन।
(2) श्री आर0के0 सुधांशु, सचिव, खनन, उत्तराखण्ड शासन।
(3) श्री दिलीप जावलकर, सचिव, पर्यटन, उत्तराखण्ड शासन।
(4) श्री प्रेम सिंह, एल0आर0, न्याय विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
(5) श्री आर0के0 श्रीवास्तव, ए0एल0आर0, न्याय विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
(6) श्री यू0एन0 पाण्डे, अपर सचिव, उद्योग विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
(7) श्री विनोद कुमार सुमन, अपर सचिव, शहरी विकास विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
(8) श्री भुपेश तिवारी, अपर सचिव, वित्त विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
(9) श्री एस0पी0 सुबुद्धि, सदस्य सचिव, उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, देहरादून।
(10)श्री रवि पाण्डेय, अधीक्षण अभियंता, शहरी विकास विभाग, देहरादून।

Uttarakhand Pollution Control Board
Diary No. 3918
Date 16/10/2020

उत्तराखण्ड राज्य में Single-Use Plastic के विक्रय, विपणन, उत्पादन, भण्डारण, प्रयोग आदि को प्रतिबन्धित किये जाने के संबंध में विचार–विमर्श हेतु मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन की अध्यक्षता में दिनांक 30.09.2020 को बैठक आहुत की गयी।

बैठक में सर्वप्रथम सदस्य सचिव, उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा Single Use Plastic की परिभाषा, पर्यावरणीय प्रभाव एवं उत्तराखण्ड राज्य में S.U.P. का उत्पादन, विकय, उपयोग आदि को प्रतिबन्धित किये जाने की आवश्यकता एवं उक्त विषय में मा0 न्यायालयों द्वारा दिये गये विभिन्न निर्णयों के सम्बन्ध में विस्तृत प्रस्तुतिकरण दिया गया।

उनके द्वारा मुख्य रूप से मा0 उच्च न्यायालय, उत्तराखण्ड, नैनीताल द्वारा जनहित याचिका ललित मिगलानी बनाम उत्तराखण्ड राज्य, रोहित जोशी बनाम उत्तराखण्ड राज्य तथा मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा मूल आवेदन सं0 200/2014, 10/2015 में दिये गये विभिन्न निर्देशों एवं उक्त के क्रम में शासन स्तर से जारी किये गये विभिन्न आदेशों एवं उत्तराखण्ड राज्य में प्रचलित The Uttarakhand Plastic & Other Non-Bio degradable Garbage (Regulation of Use & Disposal) Act, 2013 के सम्बन्ध में अवगत कराया गया। इसके अतिरिक्त दिनांक 15.08.2019 को मा0 प्रधानमंत्री महोदय की अपील, मा0 वन एवं पर्यावरण मंत्री, भारत सरकार द्वारा विश्व पर्यावरण दिवस में की गयी घोषणा आदि के सम्बन्ध में भी अवगत कराया गया। उनके द्वारा यह भी अवगत कराया गया कि वर्तमान में S.U.P. की कोई स्पष्ट परिभाषा न तो केन्द्र सरकार द्वारा, न ही केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा दी गयी है। फिर भी देश के कतिपय राज्यों द्वारा S.U.P. के उत्पादन, विकय, उपयोग आदि को प्रतिबन्धित किये जाने की कार्यवाही की गयी है।

उक्त प्रस्तुतिकरण के क्रम में विचार–विमर्श के उपरान्त बैठक में निम्नानुसार निर्णय लिये गयेः–

1. प्रस्तावित Single Use Plastic का उत्पादन, विकय, उपयोग आदि को प्रतिबन्धित किये जाने के सम्बन्ध में Uttarakhand Plastic and Non-biodegradable Garbage (Regulation for Use & Disposal) Act, 2013 के अन्तर्गत ही नियमानुसार अग्रेत्तर नोटिफिकेशन आदि जारी किया जायेगा।

CEO (T)	CEO (S)	EE-Envis/ Water Cess/
CEO (Admn)	SO	PIO
Nodal-BMW	Nodal-SWPW	Nodal-HW
Nodal-Legal	Nodal-Account	AO(I/C)

D/F-3/karyavrit/2020

17.10.2020

2. प्रस्तावित नोटिफिकेशन में दी गयी परिभाषा को निम्नानुसार स्वीकार किया गया :–

1. (a) No person, by himself or through another, shall knowingly or otherwise, sale, trade, manufacture, import, store, carry, transport, use, supply or distribute the following plastic/thermocol/Styrofoam items in the entire state of Uttarakhand :-

(i) Polythene carry bags of any shape (with or without handle), thickness, size & colour; and non-woven poly propylene bags.

(However, bio-compostable plastic bags and polybags more than 50 micron thickness used for handling, collection, transportation of the waste such as bio medical waste, municipal solid waste and hazardous waste will be excluded).

(ii) Single use disposable cutleries made up of thermocol (polystyrene), polyurethane, Styrofoam and the like; or plastic such as plate, tray, bowl, cup, glass, spoon, fork, straw, knives and stirrer of any size and shape and

(iii) Single use food packaging containers made up of recyclable plastics of any size, thickness and colour used to cover, carry, store food/liquid items (Hot & Cold).

3. प्रस्तावित नोटिफिकेशन के अन्तर्गत (on every violation) प्राविधानित जुर्माने की धनराशि में निम्न प्रकार संशोधन करने के लिये निर्देश दिया गया :–

(i) Manufacturer/Transporter हेतु जुर्माने की धनराशि रु0 50 हजार के स्थान पर रु0 2.00 लाख।
(ii) Whole sellers/Traders हेतु जुर्माने की धनराशि रु0 25 हजार के स्थान पर रु0 1.00 लाख।
(iii) Individual Users हेतु जुर्माने की धनराशि रु0 250 के स्थान पर रु0 100 ।
(iv) For subsequent violation by the same legal entity will attract twice the fine mentioned above का अनुमोदन किया गया।

4. नोटिफिकेशन के निर्देशों का अनुपालन कराने एवं जुर्माने की धनराशि आरोपित करने हेतु प्रस्तावित प्राधिकारियों को प्रस्तावित नोटिफिकेशन के अनुसार स्वीकार किया गया।

5. यह भी निर्णय लिया गया कि जुर्माना आरोपित करने के पश्चात् प्राप्त धनराशि को प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के स्थान पर वित्तीय विभाग, उत्तराखण्ड शासन के "अन्य प्राप्ति मद" में जमा कराया जायेगा।

6. नोटिफिकेशन के लागू होने की परिस्थिति में राज्य में Singie-Use Plastic के उत्पादन में कार्यरत ईकाईयों/फैक्ट्रियों को प्लास्टिक उत्पादन बंद करने के लिए 6 माह का समय प्रदान किया जायेगा।

मुख्य सचिव महोदय द्वारा यह भी पूछा गया कि प्रस्तावित नोटिफिकेशन के फलस्वरूप राज्य में Single-Use Plastic के विक्रय, विपणन, उत्पादन, भण्डारण, प्रयोग आदि को प्रतिबन्धित करने से क्या Financial Implication होगें तथा Single-Use Plastic के क्या विकल्प होगें। विकल्प के सम्बन्ध में सदस्य सचिव, उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा अवगत कराया गया कि, Polythene & Non-woven Polypropylene कैरी बैग के विकल्प के रूप में Compostable plastic carry bags उपलब्ध हैं एवं थर्मोकॉल/प्लास्टिक निर्मित

कटलैरी आदि के विकल्प के रूप में पत्तल के साथ–साथ कागज, गत्ते एवं Agriculture Residue को Compact कर बनाये गयी कटलैरी आदि उपलब्ध हैं।

Financial Implication के सम्बन्ध में निर्णय लिया गया कि इस पर औद्योगिक विकास विभाग से अभिमत प्राप्त किया जाये।

तदोपरान्त मुख्य सचिव महोदय द्वारा निर्देशित किया गया कि बैठक में लिये गये निर्णय के क्रम में प्रस्तावित नोटिफिकेशन में आवश्यक संशोधन करने के उपरान्त संशोधित नोटिफिकेशन कैबिनेट के समक्ष प्रस्तुत करने हेतु अग्रेतर आवश्यक कार्यवाही करें।

अन्त में बैठक का सधन्यवाद समापन किया गया।

(ओम प्रकाश)
मुख्य सचिव।

उत्तराखण्ड शासन
पर्यावरण, संरक्षण एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग
संख्या–1102 / XXXVIII-1–20–13(11)/2001
देहरादूनः दिनांकः– 12 अक्टूबर, 2020

प्रतिलिपि :–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित्।

1. अपर मुख्य सचिव, औद्योगिक विकास विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
2. प्रमुख सचिव, वन एवं पर्यावरण, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
3. सचिव, खनन, उत्तराखण्ड शासन।
4. सचिव, पर्यटन, उत्तराखण्ड शासन।
5. सचिव, न्याय विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
6. सचिव, शहरी विकास विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
7. सचिव, वित्त विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
8. सदस्य सचिव, उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, देहरादून।

(आनन्द बर्द्धन)
प्रमुख सचिव।

D/F-3/karyavrit/2020

Government of Uttrakhand

Forest & Environment Department

Notification

Whereas, plastics are non-biodegradable and cause threat to the ecological system as they reduce the fertility of soil and thereby hamper the growth of plants, choke drains and sewer resulting in overflowing of gutters and if swallowed by cattle and wild animals, they may cause death by obstructing their intestine;

And whereas, the color pigments present in the plastic contaminate food products wrapped in them and cause health hazards and some of it even carcinogenic;

And whereas, plastic products take hundreds of years for degradation, as they are not biodegradable, they also block the rainwater infiltration into the soil hindering recharge of ground water;

And whereas, the plastic bags when discarded can get filled with rainwater offering ideal breeding ground for vector borne diseases like malaria, dengue etc. and burning of plastics also releases carcinogenic and toxic substances like dioxins, furans and hydrogen cyanide, which pollute air as well as cause severe and chronic health problems;

And whereas, plastic waste and micro plastic cause danger to fresh and marine water bio-diversity and also hamper ecosystem services due to spreading of such waste in and around eco-systems, on tourists places, heritage sites, eco-fragile areas like- Bugyals, high altitude areas and on agriculture and forest areas.

And whereas, Government of Uttarakhand has notified "The Uttarakhand Plastic and Other Non Biodegradable Garbage (Regulation of Use and Disposal) Act, 2013" herein after referred as "Said Act" and vide section 3(1) of the said Act the State Government may, by notification, impose restriction or prohibition on the manufacture, sale, purchase, storage, distribution, and use of any plastic or other non-biodegradable material within the State of Uttarakhand , which is contrary to the norms as the State Government may, by notification specify.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 3(1) of the Said Act, State Government hereby make following provisions for restriction and prohibition of the plastic in the entire State of Uttarakhand: -

1. (a) No person, by himself or through another, shall knowingly or otherwise, **sale, trade, manufacture, import, store, carry, transport, use, supply or distribute** the following plastic/thermocol/Styrofoam items in the entire state of Uttarakhand.

(i) Polythene carry bags of any shape (with or without handle), thickness, size & colour; and non-woven poly propylene bags

However, bio-compostable plastic bags and polybags more than 50 micron thickness used for handling, collection, transportation of the waste such as bio medical waste, municipal solid waste and hazardous waste will be excluded.

(ii) Single use disposable cutleries made up of thermocol (polystyrene), polyurethane, Styrofoam and the like; or plastic such as plate, tray, bowl, cup, glass, spoon, fork, straw, knives and stirrer of any size and shape and

(iii) Single use food packaging containers made up of recyclable plastics of any size, thickness and colour used to cover, carry, store food/liquid items (hot & cold).

Note: Compostable plastics shall confirm to the Indian Standard: IS 17088:2008. The manufacturers or seller of compostable plastic carry bags shall obtain a certificate from the Central Pollution Control Board before marketing or selling.

(b) No person shall knowingly or otherwise, litter any public place with any plastic item allowed under this order.

2. The authorities or owners of places of religious worship or institutions, multiplex, hotels and restaurants, cafe, mobile food counters or vans, caterers and other such places like marriage or party halls, offices or institutions and the outdoor event shall be responsible for ensuring strict compliance of the aforesaid provisions and they shall provide space for collection of plastic waste within their campus and returning the same to the concerned manufacturer or retailers or supplier; or to recyclers, duly registered with Uttarakhand Pollution Control Board.
3. Manufacturers of Products of Polyethylene Terephthalate (PET/PETE) bottles for bottled drinking water and soft drinks shall take back the Polyethylene Terephthalate (PET/PETE) bottles and plastic waste respectively through the same retail sales network under mutually agreed terms and conditions based on Extended Producer's Responsibility or they have to mandatorily compensate expenses incurred by the local authorities (Urban Local Bodies and Village Panchayats etc.) in collection, transportation and safe disposal of the plastic waste generated due to their products.
4. All manufacturing units engaged in manufacturing of the items as mentioned under clause 1(a)(i) to clause 1(a)(iii) shall have to stop manufacturing of such items within six months from the date of issue of this notification.

5. Any Violation of above provisions will attract the penalty as follows: -

Violators	Amount of Penalty
Manufacturer/ Transporter	Rs 2.00 Lakh
Whole Sellers/ Traders	Rs 1.00 Lakh
Individual Users	Rs 100/-
For subsequent violation by the same legal entity will attract twice the fine mentioned above.	

6. Following Officers are authorised for implementation of the directions and imposition of the penalty: -
   i) District Magistrate or his representatives not below the rank of Tehsildar.
   ii) Municipal Commissioner/Executive Officer of the Urban Local Bodies or their representative not below the rank of sanitary supervisors.
   iii) Superintendent of Police or his representatives not below the rank of Inspector.
   iv) Divisional Forest Officer or his representatives not below the rank of Range officer.
   v) Commissioner Tax Department or his representative not below the rank of joint commissioner.
   vi) Commissioner Transport Department or his representative not below the rank of joint commissioner.
   vii) Regional Officer, Pollution Control Board or his representative not below the rank of Asst. Engineer.
7. All the fines, so collected will be deposited with Finance department of State of Uttarakhand under "Other her Financial Receipt" Head.

By order of

Principal Secretary
Forest and Environment

उत्तराखण्ड शासन
पर्यावरण संरक्षण एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग
अधिसूचना

जैसा कि, प्लास्टिक अजैवनाशकारी है एवं पारिस्थितिकि तंत्र के लिये खतरा पैदा करता है। प्लास्टिक मिट्टी की उर्वरता को कम कर पौधों की वृद्धि में बाधा उत्पन्न करता है, नालियों और सीवर को बाधित करता है, जिसके परिणामस्वरूप सीवर व नालियों का पानी बाहर बहने लगता है, जिसका मवेशियों व जंगली जन्तुओं द्वारा इसका भक्षण करने पर उनके स्वास्थय पर विपरीत प्रभाव डालता है, जिससे उनकी मृत्यु भी हो जाती है या वे असाध्य रोग से ग्रस्त हो जाते हैं।

जैसा कि प्लास्टिक में मौजूद रंग पिगमेंट, प्लास्टिक में लिपटे खाघ पदार्थों को दूषित करता है, जो कि स्वास्थ्य के लिये हानिकारक व कैंसर तक का कारण होता है।

जैसा कि, प्लास्टिक से बने उत्पादों को क्षरण होने में कम से कम 100 वर्ष का समय लगता है, क्योंकि प्लास्टिक अजैवनाषकारी होता है। इसके साथ–साथ प्लास्टिक वर्शा के पानी को फिल्टरेषन करने से रोकता है तथा मिट्टी की सतह तक पहुंचने में बाधा उत्पन्न करता है, जिससे भू–गर्भीय जल का पुनर्भरण नहीं हो पाता है।

जैसा कि, प्लास्टिक बैग के खुले में निस्तारित किये जाने के कारण वर्शा के दौरान पानी इन प्लास्टिक बैग में पानी जमा हो जाता है, जो कि मलेरिया, डेंगू आदि वेक्टर जनित रोगों पनपने के लिये बेहतर वातावरण उपलब्ध कराता है। प्लास्टिक के खुले में जलाये जाने के कारण कैंसरकारी व बेहद जहरीले पदार्थ जैसे कि डॉई–आक्सिक फ्यूरॉन व हाईड्रोजन सॉयनाईड उत्सर्जित होता है, जो वायु मण्डल प्रदूषित करने के साथ–साथ स्वास्थ्य सम्बन्धी समस्यायों का भी कारण है।

जैसा कि, प्लास्टिक अपशिष्ट व माइक्रो प्लास्टिक के कारण ताज़ा जल व समुद्री जल तथा जैव विविधता के लिये खतरे का कारण है और पर्यटक स्थलों, पर्यावरण दृष्टि से संवेदनशील व हमारे धरोहर, जैसे बुग्याल, उंचाई वाले क्षेत्र, कृषि व वन को, इसके फैलने से यह पारिस्थितिकि सेवाओं को भी बाधित करता है।

जैसा कि, उत्तराखण्ड शासन द्वारा "उत्तराखण्ड प्लास्टिक और अन्य जीव अनाशित कूड़ा–कचरा (उपयोग और निस्तारण का विनियमन) अधिनियम, 2013" बनाये गये हैं (जिन्हें अग्रेतर **"उपरोक्त अधिनियम"** के नाम से सम्बोधित किया गया है)। उपरोक्त अधिनियम की धारा 3 (1) के अन्तर्गत प्रावधान है कि "राज्य सरकार, अधिसूचना से, उत्तराखण्ड राज्य के भीतर प्लास्टिक अथवा जीव अनाशित पदार्थ, जो राज्य सरकार द्वारा अधिसूचना में विनिर्दिष्ट मानकों से असंगत होते हैं, के उत्पादन क्रय, विक्रय, भण्डारण, वितरण और उपयोग पर प्रतिबन्ध अथवा प्रतिषेध अधिरोपित कर सकेगी।"

अतः उपरोक्त अधिनिमय की धारा 3(1) में प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुये सम्पूर्ण उत्तराखण्ड में प्लास्टिक पर निम्नानसुार प्रतिबन्ध एवं प्रतिषेध अधिरोपित किया जाता हैः–

1. **क)** कोई भी व्यक्ति, स्वयं या किसी और के माध्यम से जानबूझकर या अनजाने में निम्नलिखित प्लास्टिक के क्रय, विक्रय, उत्पादन, आयात, भण्डारण, ले जाना, उपयोग व आपूर्ति सम्पूर्ण उत्तराखण्ड राज्य में नहीं करेगा:–

   अ) किसी भी आकार के प्लास्टिक कैरी बैग (हैंडल के साथ अथवा बिना हैंडल के) मोटाई, रंग, और नॉन–वोवन पॉली प्रोपाईलिन बैग।

   50 माइक्रोन् से अधिक मोटाई वाले बायो–कम्पोस्टेबल बैग एवं प्लास्टिक कैरी बैग, जो जैव चिकित्सा अपशिष्ट, नगरीय ठोस अपशिष्ट और खतरनाक अपशिष्ट के परिवहन में उपयोग किये जाते हैं, पर उपरोक्त प्रतिबन्ध लागू नहीं होगा।

   ब) थर्मोकोल (पॉलीस्टायरीन), पॉलीयुरेथेन, स्टायरोफोम और इसी तरह के बने एकल उपयोग के डिस्पोजेबल कटलरी या प्लास्टिक जैसे प्लेट, ट्रे, कटोरे, कप, गिलास, चम्मच, कांटा, स्ट्रॉ, चाकू चाहे वे किसी भी आकार व प्रकार के हो।

   स) एकल उपयोग खाद्य पदार्थ के पैकेजिंग कन्टेनर चाहे किसी भी आकार, प्रकार व रंग के हों, जो पुनः चक्रित प्लास्टिक से बने हों व जो खाद्य/तरल पदार्थ को ढ़कने, ले जाने व भण्डारित करने में उपयोग होता हो।

   नोटः कम्पोस्टेबल प्लासिटक भारतीय मानक IS 17088:2008 पुष्टि करेगा कि कैरी बैग के निर्माता या विक्रेता विपण्न या विक्रय से पहल केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से इस हेतु सहमति प्रमाण पत्र प्राप्त करना आवश्यक होगा।

1. **ख)** कोई भी व्यक्ति जानते हुये या अन्यथा की दशा में सार्वजनिक स्थल में किसी भी प्रकार के प्लास्टिक को, जो कि इस अधिसूचना में अनुमन्य प्लास्टिक है, को नहीं फेंकेगा।

2. धार्मिक स्थलों व संस्थानों, सिनेमाघरों, होटल और रेस्तंरा, कैफे, मोबाईल फूड काउन्टर या वैन, कैटरर्स और अन्य स्थानों जैसे शादी या पार्टी हॉल, दफ्तर व संस्थान या ईवेंट के स्वामी उक्त नियमों के कड़ाई से अनुपालन करने हेतु उत्तरदायी होंगे। इसके साथ–ही–साथ उनके द्वारा जनित प्लास्टिक अपशिष्ट के एकत्रण हेतु उनके परिसर में स्थान उपलब्ध कराया जायेगा व प्लास्टिक के एकत्रण के पश्चात् उसको उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से पंजीकृत रिसाईक्लरस को पुनचक्रण हेतु भेजा जायेगा।

3. बोतलबन्द पानी व शीतल पेय हेतु पॉलीइथयलीन टेरेफ्थलेट (पीईटी/पीईटीई) बोतलों के उत्पादकर्ता विस्तारित निर्माता उत्तरदायित्व के तहत समान रूप से सहमत नियमों और शर्तों के अन्तर्गत एक ही खुदरा बिक्री नेटवर्क के माध्यम से क्रमशः पॉलेथिन टेरेफ्थलेट की बोतलों और प्लास्टिक अपशिष्ट को वापस लेगें। उनके उत्पाद द्वारा जनित प्लास्टिक अपशिष्ट के एकत्रण, परिवहन व सुरक्षित निस्तारण हेतु स्थानीय प्राधिकरण (नगर निकाय/ग्राम पंचायत) द्वारा किये गये खर्चों का भुगतान उनके द्वारा आवश्यक रूप से किया जायेगा।

4. ऐसी सभी उत्पादन इकाईयां जो कि उपरोक्त अधिसूचना के बिन्दु सं0 1 (क)(अ) से बिन्दु सं0 1(क)(स) के अनुसार उत्पाद बना रहीं हैं, उनको इस अधिसूचना के जारी होने की तिथि के छः माह के भीतर उपरोक्त उत्पादों का उत्पादन बन्द करना होगा।

5. इस अधिसूचना के उल्लंघन की दशा में निम्नानुसार जुर्माना आरोपित किया जायेगाः–

उल्लंघनकर्ता	जुर्माने की धनराषि
उत्पादकर्ता/परिवहनकर्ता	रु0 2.00 लाख
खुदरा विक्रेता/विक्रेता	रु0 1.00 लाख
व्यक्तिगत उपयोग	रु0 100/–
पुनः उल्लंघन में पाये जाने की दषा में सम्बन्धित उल्लंघनकर्ता पर उपरोक्त का दोगुना अर्थदण्ड आरोपित किया जायेगा।	

6. निम्नलिखित अधिकारी अधिसूचना के उल्लंघन में जुर्माना आरोपित करने हेतु अधिकृत होगेंः–
   1. जिलाधिकारी या उनके द्वारा नामित अधिकारी, जो तहसीलदार के पद से नीचे का ना हो।
   2. नगर आयुक्त/स्थानीय निकायों के कार्यकारी अधिकारी या उनके द्वारा नामित अधिकारी जो कि सैनेट्री सुपरवाईजर के पद से नीचे का ना हो।
   3. पुलीस अधीक्षक या उनके द्वारा नामित प्रतिनिधि, जो दरोगा के पद से नीचे का ना हो।
   4. डिवीज़न वन अधिकारी या उनके द्वारा नामित प्रतिनिधि, जो रेंज अधिकारी से नीचे का पद ना हो।
   5. आयुक्त, टैक्स विभाग या उनके द्वारा नामित प्रतिनिधि, संयुक्त आयुक्त से नीचे का पद ना हो।
   6. आयुक्त, परिवहन विभाग या या उनके द्वारा नामित प्रतिनिधि, संयुक्त आयुक्त से नीचे का पद ना धारण करता हो।
   7. क्षेत्रीय अधिकारी, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड या उनके द्वारा नामित प्रतिनिधि, सहायक अभियन्ता से नीचे का पद ना हो।
7. उपरोक्त अधिकृत अधिकारियों द्वारा एकत्र किये जाने वाले जुर्माने को सीधे उत्तराखण्ड षासन के वित विभाग में **"अन्य प्राप्ति मद"** में जमा करायी जायेगी

प्रमुख सचिव
(पर्यावरण, संरक्षण एवं जलवायु परिवर्तन)